

Registration no: ( 238152720211115201222 ) Date: ( 15-11-2021 ) Valid till: ( 15-11-2024 )



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | JAMUI  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा बोर्ड, २ कम्प्युनिटी सेटर ०

**विषय :-** बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकति का प्रगाञ्ज पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 15-11-2021 और उसके त्राम में आपसे किये गये प्रश्नावार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय MANI DWEEP ACADEMY, Rajendra Nagar, Station Road, Jamui, BIHAR - 811307, Jamui, 811307. कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 15-11-2021 से 15-11-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकति प्रदान की जाती है।

प्रदृश प्रस्तीकति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर गान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुत्प्रक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुत्प्रक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कृत क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। यद्यों के कमज़ोर वर्ष एवं असाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राप्तिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राप्तिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अपना से दैक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैफियेशन छीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके मातृ-पिता या अभिभावक का स्लीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपत्त्वाता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर दंडार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने कामा प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानेत शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक नियी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण शतिरि पे में संलग्न नहीं होगी।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यात्राक्रम एवं यात्रापर्याय का अनुसरण होगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार (खेगा)। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निश्चयतः।

- (I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 27
- (II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 27
- (III) खेल के मैदान के क्षेत्र :- Playground, Library, Laboratory, Fire extinguisher, CCTV, Common Room, Play Zone,
- (IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 18
- (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय साह-भैंडार कक्ष :- 3
- (VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अवश्य-अवश्य शौचालय :- Indian , Boys :- 10 , Girls 10
- (VII) प्रेयजल की सुविधा :- 10
- (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
- (IX) बाधारहित पहुँच, [ ] :-
- (X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/प्रूफलकर्य पुस्तकालय :- Whiteboard, Projector, Computer, Bulletine Board, Picture Wall, Cricket Kit, Football, Carrom, Badminton, , ( Y , 306 , NewsPaper MagaZine:- 5 )

11. कोई भी अपर्स्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अनुर्भव निर्विधि सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में सामूहिकानुन के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ताब्द के लिए संचालित नहीं होगा ।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण घार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्त्रीकृति कोड संख्या [ 238152720211115201222, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का वकावार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्रायोगिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाप्त -भौंग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्त्रीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिहितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को द्रुत करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाईटी के निर्विधि के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिहित किया जाए ।
19. अनुसारप्रक [ ] के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वास भाजन

५०/-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, JAMUI  
सह-सचिव प्रस्त्रीकृत समिति  
शिक्षा विभाग, विहार सरकारDPO (EE & SSA)  
Jamui*Arvind*  
11/07/22

NOG LETTER

dropssajamui@gmail.com  
E-mail -

| କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ |

# कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई

(प्रांशु एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक 199/

प्रेषक,

राजदेव राम,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रांशु एवं सर्व शिक्षा अभियान, जमुई

-सह-सदस्य सचिव, निजी विद्यालय प्रस्तीकृति समिति,

जिला - जमुई।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

Manidweep Academy,

Rajendra Nagar, Station Road

Jamui

जमुई, दिनांक 02/03/13

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 30.09.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय Manidweep Academy, Rajendra Nagar, Station Road, Jamui

(विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) I कक्षा से VIII तक संचालन हेतु तीन वर्षों 02.3.13 से 1.3.16 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आतश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कूल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा।

Principal

**MANI DWEEP ACADEMY**

Rajendra Nagar, Mankotia, Jamui

**CHAIRMAN**

**Mani Dweep Academy  
Jamui, Bihar**

विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का सचालन हो रहा है। तो इस नामक का अनुपालन पत्र प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कड़िका 3 में उद्दृत बच्चों के नामले में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के हारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीमिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-रक्तान्तर आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के हारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे।
  - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा यों प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
  - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैरो सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त

*M. Dweep Romi*  
Principal

MANI DWEEP ACADEMY  
Rajendra Nagar, Mankatta, Jamui

*[Signature]*  
CHAIRMAN

Mani Dweep Academy  
Jamui, Bihar

VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

VIII. शिक्षक निजी-रत्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदेंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः-

विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल; ११७७९ एकड़ी

कुल निर्मित क्षेत्र; - १८५७ एकड़ी

खेल के मैदान का क्षेत्र;

वर्गकक्षों की कुल संख्या; १० (इव्व)

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष; - ०३ (तीन)

वालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय; - ६

प्रयोजन की सुविधा; द्वा

मत्याह मोजन के लिए रसोई-घर; - ६ - ०२ (ए)

वाधारहित पहुँच; द्वा

शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय; - ६

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित रोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

Niraj Rani,  
Principal

MANI DWEEP ACADEMY  
Rajendra Nagar, Mankatia, Jamui

CHARMAN  
Mani Dwipe Academy  
Jamui, Bihar

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रभाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या ५८३/१९-१४ है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राजा)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रांशु एवं सर्व शिक्षा अग्नियान, जमुई  
—सह—सदस्य सचिव,  
निजी विद्यालय प्रस्तीकृति समिति, जमुई।

Niraj Rami

Principal

MANI DWEEP ACADEMY


Rajendra Nagar, Markatta, Jamui

CHAIRMAN  
Mani Dweep Academy

Jamui, Bihar

# कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, जमुई

Web-Site -  
www.bepejamui.in



E-mail -  
dpossajamui@gmail.com

पत्रांक ५४।

प्रेषक,

समर बहादुर सिंह  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा० शि० एवं सर्वशिक्षा अभियान, जमुई।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधन,  
मनीदीप एकेडमी, राजेन्द्र नगर, जमुई।  
जिला - जमुई।

जमुई, दिनांक ०४/०८/१६

विषय :- वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ आपको तीन वर्षों के लिए शर्तों के साथ औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की गई थी, ताकि RTE के नियमानुसार अन्य मानकों को शीघ्र पूर्ण कर लेने के उपरान्त प्रस्तीकृति प्रदान की जा सके। उक्त परिपेक्ष में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आलोक में आपके विद्यालय गये प्रस्तीकृति संख्या पर ही शर्तों के साथ प्रस्तीकृति दी जाती है। RTE के नियमों का पालन आपके द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं पाए जाने पर आपके विद्यालय की प्रस्तीकृति कभी भी रद्द की जा सकती है।

विश्वासमाजन

(समर बहादुर सिंह)  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा० शि० एवं सर्वशिक्षा अभियान जमुई।

Niru Roni,

Principal

MANI DWEEP ACADEMY

Rajendra Nagar, Mankatia, Jamui


Alok / P. School Letter 2016

- 7 -

CHAIRMAN  
Mani Dweep Academy  
Jamui, Bihar

# कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, जमुई

Web-Site -  
www.bepcjamui.in



E-mail -  
dpossajamui@gmail.com

पत्रांक २/१०/१

प्रेषक,

सीमा कुमारी  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
प्रा० शि० एवं समग्र शिक्षा, जमुई।

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,  
MANIDWEEP ACADEMY, JAMUI, Dist.-JAMUI

जमुई, दिनांक १९/६/२०११

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ आपकों तीन वर्षों के लिए शर्तों के साथ औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त परिपेक्ष्य में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन के आलोक में आपके विद्यालय MANIDWEEP ACADEMY, JAMUI, Dist.-JAMUI को कक्षा नर्सरी / कक्षा-01 से कक्षा 08 तक संचालन हेतु प्रस्तीकृति समाप्ति की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए RTE Act में उल्लिखित शर्तों के साथ प्रस्तीकृति दी जाती है। RTE में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रस्तीकृति कभी भी रद्द की जा सकती है।

विश्वासमाजन

३/६/२१

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा० शि० एवं समग्र शिक्षा, जमुई।

Nila Roni

Principal

MANIDWEEP ACADEMY  
Rajendra Nagar, Markatla, Jamui

18/06/21

CHAIRMAN  
Mani Dweep Academy  
Jamui, Bihar